न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 130/2024

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या मुख्य चि. एवं स्वा अधिकारी, अलवर।

– आवेदक

बनाम

श्री राधेश्याम पुत्र श्री नंदराम सैनी, उम्र 46 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स– राधे–राधे पवित्र भोजनालय, एनएच–8, सीएनजी पम्प के पास, काठमाजय, तह० नीमराना, जिला अलवर निवासी वार्ड नं0–9, होली टीबा, नीमराना, जिला अलवर।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 29/4/26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री केशव कुमार गोयल द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.05.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमांक 54 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रणं, राज जयपुर के आदेश क्रमांक 2714/01.09.2022 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह है कि दिनांक 11.05.2023 को बाददोपहर 2:00 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चौकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

दल के साथ मैसर्स राधे–राधे पवित्र भोजनालय, एनएच–8, सीएनजी पम्प के पास, काठमाजरा, तह० नीमराना, जिला अलवर स्थित भोजनालय पर पहुँचा। उक्त समय उक्त स्थल पर विक्रेता श्री राधेश्याम पुत्र श्री नंदराम सैनी स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ आमजन को बिक्री वास्ते रखे हुए थे। मैंने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री संजीव कुमार एवं श्री जयसिंह यादव की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री राधेश्याम पुत्र श्री नंदराम सैनी, उम्र 46 वर्ष, निवासी वार्ड नं0–9, होली टीबा, नीमराना, जिला अलवर का होना बताया एवं स्वयं को उक्त खाद्य कारोबार का मालिक होना बताया एवं मौके पर विक्रेता द्वारा अपने आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैंने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पंजीयन नं0 22223054000930 दिनांक 11.05.2023 से दिनांक 10.05.2028 तक का जारी होना दिखाया एवं छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि उक्त भोजनालय का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान उक्त भोजनालय पर एक डीप फ्रीज में स्टील के एक बडे भगोने में रखे करीब 15 किग्रा० दही (भैंस के दूध से निर्मित) आमजन को बिक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री संजीव कुमार एवं श्री जयसिंह यादव की उपस्थिति में विक्रेता श्री राधेश्याम को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त भगोने के दही (भैंस के दूध से निर्मित) में से वर्टिकल कट द्वारा 800 ग्राम दही (भैंस के दूध से निर्मित) वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखे एवं खाली स्टील के जग में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 80/– (अक्षरे अस्सी रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 800 ग्राम दही (भैंस के दूध से निर्मित) को हिलामिलाकर एकरूपकर विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा दही (भैंस के दूध से निर्मित) को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मेलीन की 16–16 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

   लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी–21321 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।
5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढ़ाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, अलवर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त दही (भैंस के दूध से निर्मित) के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 608 दिनांक 13.07.2023 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्र के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्र न्यायूनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।यह है कि उक्त खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) दही (भैंस के दूध से निर्मित) की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।
10. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को रजिस्डर्ड नोटिस जारी किये गये। बाद तामिल अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल सैनी ने उपस्थित आकर वकालतनामा एवं जबाब पेश किया।
11. अप्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। अप्रार्थी वकील ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये परिवाद का विरोध करते हुए मुख्य रूप से नमूना लेने की प्रक्रिया गलत ठहराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेने की प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। खाद्य पदार्थ दही का नमूना लेने से पहले उसे अच्छी तरह से हिलाकर एकरूप नहीं किया गया जिस कारण रिपोर्ट अवमानक आई है, जो कि एक तकनीकी त्रुटि है न कि मिलावट। इसलिए अप्रार्थी के खिलाफ की गई कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

12. वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ दही (भैंस के दूध से निर्मित) का विक्रय कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने कि प्रक्रिया को गलत ठहराया है लेकिन इस संबंध में कोई ठोस तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नही हुये है। अप्रार्थी अधिवक्ता के मौखिक कथन के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई नमूने की कार्यवाही को गलत नही ठहराया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द और फार्म पर स्वयं अप्रार्थी और स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई थी साथ ही खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट जो कि एक वैधानिक दस्तावेज है यह सिद्ध करती है कि खाद्य पदार्थ अधिनियम के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था, जो धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन है। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री राधेश्याम पुत्र श्री नंदराम सैनी, उम्र 46 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स-राधे-राधे पवित्र भोजनालय, एनएच-8, सीएनजी पम्प के पास, काठमाजरा तह० नीमराना, जिला अलवर निवासी वार्ड नं0-9, होली टीबा, नीमराना, जिला अलवर पर 25000/- पच्चीस हजार रु.- शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 28.4.26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली